संख्या–473/नम/73–2016–

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

समन्वय अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 20 अप्रैल, 2016

विषय: आई–स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि चयनित आई–स्पर्श स्मार्ट ग्रामों में ग्रामवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सतत मूलभूत तथा आधुनिक समाधान उपलब्ध कराते हुए उनके जीवन–यापन में गुणात्मक सुधार ला कर सम्बन्धित ग्राम के मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) में बढ़ोत्तरी लाने हेतु आधुनिक तकनीक, क्लाइमेट स्मार्ट क्रियाकलाप तथा डिजिटल एप्लीकेशन्स का प्रयोग मुख्य रूप से करते हुये ग्रामीण समुदाय की सामूहिक शक्ति (collective strength) तथा राज्य सरकार के प्रयासों के सहयोग एवं सिनर्जी (synergy) से किया जाय।

2. योजना का कियान्वयन–

इस योजना का कियान्वयन, समन्वय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत यू.पी. डॉस्प द्वारा मिशन–मोड में किया जायेगा। आई0–स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना मिशन, यूपी डॉस्प के अन्तर्गत स्थापित किया जायेगा एवं यूपी डॉस्प के परियोजना–समन्वयक (प्रोजेक्ट को–ऑर्डिनेटर) इसके मिशन डायरेक्टर

होंगे। आई–स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना का अनुमोदन, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण निम्नानुसार समितियों द्वारा किया जायेगा:–

2.1 ग्राम स्तरीय कियान्वयन समिति:–

01. उप जिलाधिकारी,	अध्यक्ष,
02. खण्ड विकास अधिकारी,	उपाध्यक्ष,
03. सहायक विकास अधिकारी,	सदस्य सचिव
04. अन्य सदस्य	ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायत विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (कृषि), अध्यक्ष द्वारा नामित सम्बन्धित ग्राम का एक प्रगतिशील कृषक, प्रधान अध्यापक, एवं ए.एन.एम. /हेल्थ सब सेन्टर का हेड, । (समिति में कम से एक–तिहाई अथवा उपलब्धता के अनुसार महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो)

ग्राम स्तरीय समिति द्वारा योजना का प्रस्ताव बनाकर जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन होने के पश्चात् स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित किया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित आई–स्पर्श स्मार्ट ग्राम की योजना, उसका कियान्वयन एवं अनुश्रवण उनके स्तर से नियमित रूप से किया जाय एवं योजना को समय से तैयार कर जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति को प्रेषित किया जाये। ग्राम्य स्तरीय समिति को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समुचित मार्ग दर्शन प्रदान किया जायेगा।

2.2 जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति–

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
3. सभी विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी	सदस्य

जिलाधिकारी यदि चाहें तो समिति में विशेषज्ञों को co-opt अथवा सम्मिलित कर सकते हैं। जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार परीक्षण कर योजना अपनी संस्तुतियों सहित राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनार्थ आई–स्पर्श मिशन निदेशक, यू0पी0 डास्प पिकप भवन, विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ को प्रेषित किया जायेगा।

2.3 राज्य स्तरीय समितिः–

राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव, समन्वय एवं परियोजना समन्वयक, यू.पी. डॉस्प	सदस्य सचिव
4.	प्रमुख सचिव, नियोजन	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, समस्त कार्यदायी विभाग	सदस्य

उक्त समिति द्वारा विभिन्न जनपदों से प्राप्त परियोजनाओं का तकनीकि, वित्तीय तथा क्षेत्रीय उपयोगिता के आधार पर मूल्यांकन कर स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3. **योजना हेतु बजट का प्राविधान**– वर्ष 2016–17 में प्रश्नगत योजना के लिए कुल तीन सौ करोड़ रूपये का बजट प्राविधान किया गया है, जिसमें बीस प्रतिशत धनराशि राज्य स्तरीय आई–स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना मिशन के स्तर पर रखी जायेगी, जो राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात् विभिन्न उन योजनाओं में खर्च की जायेगी, जिनके लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता है अथवा जो अपने आप में अभिनव कार्य (innovative) हों, एक प्रतिशत की धनराशि कन्टीजेंसी फण्ड के रूप में यू.पी.डॉस्प के स्तर पर रखी जायेगी जो यू. पी.डॉस्प तथा जिलों के प्रशासनिक खर्चों तथा आई–स्पर्श स्मार्ट ग्राम के लिए डी.पी.आर. इत्यादि बनाने में प्रयोग की जायेगी।

उपरोक्त धनराशि के आवंटन में परिवर्तन करने का अधिकार राज्य स्तरीय समिति में निहित होगा।

4. भविष्य में आई–स्पर्श के स्वरूप में आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार मा0 मुख्यमंत्री जी में निहित होगा।

5. योजना के उद्देश्यों तथा क्रियाकलापों को I-SPARSH acronym में निम्नानुसार समाहित किया गया है:–

I-	Inclusive (Growth), Income (Enhancement), IT (Solutions) [चयनित ग्रामों का समग्र विकास, आय में वृद्धि तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग।]
S-	Skill (Development), Social (Cohesion/Justice), Simple (Solutions) [कौशल विकास, सामाजिक मेल–मिलाप एवं जुड़ाव/सामाजिक न्याय, आसान समाधान।]
P-	Participation, People, Panchayati Raj. [जनसामान्य एवं पंचायती राज की सहभागिता।]
A-	Adaptation, Agriculture (Smart and Precise), Allied activities. [कृषि की आधुनिक एवं दक्ष तकनीकों तथा सम्बन्धित सहायक क्रियाकलापों के अनुरूप रूपान्तरण करना।]
R-	Responsive (Governance), Resilience, Recycle. [उत्तरदायी शासन/प्रशासन, लचीलापन, एवं संसाधनों को पुनः उपयोग में लाने की दक्षता विकसित करना।]
S-	Safety and Security, Sanitation, Sustainable. [सुरक्षा एवं स्वच्छता तथा टिकाऊपन।]
H-	Health, Hygiene, Housing. [स्वास्थ्य, स्वच्छ एवं स्वस्थपरक जीवनशैली तथा आवास।]

6. योजना की अवधि : आई स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना को फिलहाल एक वर्ष के लिए लागू किया जायेगा, जो 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक प्रचलित रहेगी। योजना के परिणाम के आधार पर इसे भविष्य में विस्तारित करने पर विचार किया जायेगा।

800034

- आई–स्पर्श स्मार्ट ग्रामों का चयन : इस योजना के अन्तर्गत जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के प्रारम्भ होने (वर्ष 2012–13 से) के उपरान्त जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित समस्त ग्राम आई–स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना से आच्छादित होंगे, जिनकी संख्या का निर्धारण बजट में उपलब्ध धनराशि एवं आवश्यकता के अनुरूप किया जावेगा। आई–स्पर्श ग्राम योजना से आच्छादित ग्रामों की सूची अलग से निर्गत की जायेगी।

8. **योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य तथा गतिविधियाँ :** योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों/गतिविधियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:–

(1) आई–स्पर्श स्मार्ट ग्रामों की आवश्यकता के अनुरूप विशिष्ट कार्य।

(2) अभिनव कार्य (Innovative work) जो गांव की आवश्यकता के अनुरूप हो।

(3) जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य।

(4) अन्य विभागों द्वारा प्रचलित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य।

आई–स्पर्श स्मार्ट ग्राम की योजना बनाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाय :–

(i) स्थानीय एवं भौगोलिक विशिष्टतायें एवं परिस्थितियाँ।

(ii) जलवायु की स्थिति।

(iii) प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता।

(iv) जनसामान्य की आवश्यकताओं पूर्ति हेतु क्रिटिकल गैप्स।

(v) आय वृद्धि एवं रोजगार परक।

(vi) कौशल एवं बाजार की मांग के अनुसार मूल्य संवर्द्धन कर विपणन समन्वय सुनिश्चित करना।

(vii) परम्परागत कृषि को अद्यतन तकनीक की सहायता से लाभपरक बनाना।

(viii) क्षेत्रीय रुप से प्रचलित परमपरागत हस्त शिल्प को अद्यतन तकनीक के सहयोग से बेहतर डिजाइन कर विपणन व्यवस्था से जोड़ना।

(ix) प्रोडक्टिव एसेट्स।

8.1. आई–स्पर्श स्मार्ट ग्रामों की आवश्यकता के अनुरूप विशिष्ट कार्य: ये कार्य मुख्य रूप से शिक्षा, आधुनिक तकनीक, पर्यावरण संरक्षण तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित होगें, ताकि ग्रामवासियों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें मूलभूत तथा आधुनिक सालूशन्स दिये जा सकें। इन कार्यकमों हेतु बालिकाओं/महिलाओं, बच्चों, वृद्धों तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नानुसार कार्यकम लिये जायेंगे, परन्तु ग्राम की आवश्यकता के अनुरूप अन्य कार्यकम, जो उपरोक्त अवधारणा के अनुरूप हों, भी लिये जा सकते हैं।

8.1.1 <u>लाभार्थीपरक</u>

- ग्राम की पात्र छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाई के लिए सोलर लैण्टर्न उपलब्ध कराना।
- ग्राम की पात्र छात्राओं को साईकिल उपलब्ध कराना–इसमें उन साईकिलों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिसमें ट्यूबलेस टायर हों तथा ये विद्युत/ऊर्जा का उत्पादन भी करती हों।
- ग्राम की Reproductive आयु की महिलाओं/बालिकाओं को Sanitary Napkins उपलब्ध कराया जाना।
- ग्राम में पात्र सभी वृद्धों को परीक्षणोंपरान्त चश्में तथा श्रवण यन्त्र की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।
- पात्र कृषकों को आधुनिक फार्म मशीनरी उपलब्ध कराया जाना (सौर ऊर्जा चालित फार्म मशीनों को प्राथमिकता)।
- पात्र युवक–युवतियों को कौशल विकास के अन्तर्गत प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार उपलब्ध कराना।

- दिव्यांग बच्चों को आवश्यकता के अनुरूप कृत्रिम अंग/उपकरण तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराना एवं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना।
- अन्य कोई कार्यक्रम जो गाँव की आवश्यकता के अनुरूप हों एवं जिलास्तरीय समिति द्वारा आवश्यक समझे जायें।

8.1.2 ग्रामपरक

- ग्राम में जन सुविधा केन्द्र (कॉमन सर्विस सेन्टर) की स्थापना – इसकी स्थापना पूर्व से ही उपलब्ध भवन यथा–पंचायत घर इत्यादि में की जायेगी एवं यदि यह सुविधा उपलब्ध न हो तो अतिरिक्त भवन/कक्ष का निर्माण कराकर यह सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इसमें वाई–फाई/इण्टरनेट तथा कम्प्यूटर एवं फोटो कॉपियर/प्रिण्टर की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- विद्यालय में सोलर चालित आर0ओ0 वाटर सिस्टम/वाटर ए0टी0एम0 की स्थापना– इसके अतिरिक्त आवश्यकता के अनुरूप अन्य स्थानों पर भी सोलर वाटर आर0ओ0 सिस्टम लगाये जा सकते हैं।
- ग्राम में सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था/सोलर मास्ट की स्थापना करना।
- विद्यालय/कॉमन सर्विस सेण्टर में पुस्तकालय की स्थापना।
- स्मार्ट विद्यालय/कॉमन सर्विस सेन्टर में सोलर चालित प्रोजेक्शन सिस्टम तथा टेलीविजन उपलब्ध कराना/ई–शिक्षा।
- ग्राम में सार्वजनिक स्थलों पर फलदार/छायादार वृक्षारोपण तथा उपलब्ध भूमि में ग्राम्य वन (Village Forest) का विकास।
- विद्यालय में बच्चों के लिए खेलने के उपकरण तथा झूले इत्यादि की व्यवस्था– जो आवश्यकता के अनुरूप कॉमन सर्विस सेन्टर/अन्य स्थलों पर भी की जा सकती है।
- विद्यालय में बैठने के लिए आधुनिक फर्नीचर एवं शिक्षा के उपकरण उपलब्ध कराना।

- ग्रामवासियों को यातायात (बस/ऑटो परमिट) की सुविधा उपलब्ध कराना।
- ग्राम की सीवरेज व ड्रेनेज हेतु समुचित व्यवस्था तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तंत्र विकसित करना।
- ग्राम दिवस तथा ग्राम्य गीत को संस्थागत रूप दिया जाना।
- इस परियोजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम को खुले में शौच से मुक्त ग्राम (Open defication free) बनाते हुए ग्राम में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट/कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट तथा बॉयोगैस संयंत्र (निजी/सामुदायिक) की व्यवस्था करना।
- अन्य कोई कार्यक्रम जो गॉव की आवश्यकता के अनुरूप हों एवं जिलास्तरीय समिति द्वारा आवश्यक समझे जायें।

8.2 अभिनव कार्य (Innovative work), जो गांव की आवश्यकता के अनुरूप हों–

- ग्राम के विकास एवं ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने, रोजगार उपलब्ध कराने, ग्रामवासियों की आय में वृद्धि करने तथा उनके कौशल में वृद्धि करने के लिए कुछ ऐसी ग्रामपरक योजनायें हो सकती हैं, जिनके लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता हो अथवा विभिन्न संस्थागत एजेंसियों के समन्वय की आवश्यकता हो। ऐसी योजनाओं के लिए प्रस्ताव पृथक से बनाकर राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित किये जायेंगे, उदाहरणार्थ–

(i) आई–स्पर्श योजना का एक महत्वपूर्ण बिन्दु सम्बन्धित ग्रामीणों की आय में कृषि कार्य में अभिनव एवं नवीन प्रयोग करना तथा इन प्रयोगों से उत्पादित फसलों/उत्पादों हेतु बाजार की सुगमता उपलब्ध कराने का कार्य शासन एवं स्थानीय ग्रामवासियों के सहयोग से स्वयं सहायता समूह/कृषक उत्पादक संगठन (Farmers Producer Organisation) बना कर किया जायेगा। इस हेतु अश्वगन्धा, लेमन ग्रास, पामारोजा, तुलसी,स्टेविया, बीमाबम्बू, किनोवा, चिया, रागी, कौंच बीज तथा मुस्कदाना इत्यादि जैसी व्यावसायिक फसलों को उत्पादित करने एवं इस हेतु एक सुगम बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे सम्बन्धित ग्रामों के कृषकों की आय में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिये

विभिन्न औषधीय एवं सगन्ध तथा कृषि उत्पाद का आर्थिकता का विवरण एवं एक मॉडल परियोजना का प्रारुप संलग्नक–1 के रूप में संलग्न है। यह विवरण मात्र उदाहरण एवं संदर्भ हेतु है तथा वास्तविक परियोजना तकनीकी, आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भी हो सकती है। इस सम्बन्ध में यदि किसी तकनीकी विवरण अथवा समन्वय की आवश्यकता हो तो कृपया संलग्नक–2 में उल्लिखित अधिकारियों/विभागों से सम्पर्क किया जा सकता है।

(ii) ग्रामपरक विशेष प्रकार के रोजगार हेतु (डिज़ायन/तकनीक, प्रशिक्षण एवं विपणन) व्यवस्था करना जैसे हस्तशिल्प, कृषि व्यापार आदि।

(iii) बैट्री चार्जिंग स्टेशन की स्थापना जहाँ सम्बन्धित ग्राम के ग्राम वासी अपने सौर ऊर्जा चालित उपकरणों को न्यूनतम शुल्क, जो बाद में राज्य स्तरीय समिति द्वारा तय किया जायेगा, दे कर चार्ज करा सकें।

(iv) ग्रामीण बी.पी.ओ. की स्थापना।

(v) माइक्रो ए.टी.एम.

(vi) डिजीटल लर्निंग केन्द्रों की स्थापना।

(vii) सामुदायिक रसोई (Community Kitchen)

(viii)जिन चयनित ग्रामों के पास पर्यटन स्थल हों, उन ग्रामों की महिलाओं एवं युवतियों को टैक्सी चलाने के कौशल में प्रशिक्षित करना जिससे वे टैक्सी चला कर रोजगार प्राप्त कर सकें।

(ix) सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का सम्बन्धित ग्राम में स्थापना जिससे वहां की महिलाओं को कम मूल्य पर गुणवत्तायुक्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध हो सके।

(x) सहभागी वन परियोजनायें।

(xi) खाद्य प्रसंस्करण।

(xii) ग्रामीण पर्यटन से सम्बन्धित कार्यक्रम एवं योजनायें।

8.3 जनेश्वर मिश्र योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य–

• शासनादेश के अनुरूप उक्त योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से निर्धारित मानकों के अनुरूप सभी कार्य कराये जायेंगे।

8.4 अन्य विभागों द्वारा प्रचलित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य–

- अन्य सभी विभागों के अन्तर्गत जो ग्रामपरक तथा लाभार्थीपरक योजनायें चल रही हैं, उनका शत–प्रतिशपत संतृप्तीकरण आई–स्पर्श स्मार्ट ग्राम में सम्बन्धित विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं उसके लिए धनराशि तथा अन्य व्यवस्था उन्हें अपने विभागीय बजट से करनी होगी।

9. योजना का अनुश्रवण : इस परियोजना से सम्बन्धित इस शासनादेश के निर्गत होने के उपरान्त यथाशीघ्र कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्बन्धित मण्डलायुक्तों से चर्चा कर परियोजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में अग्रतर विशेष आदेश दे सकेंगे। इस परियोजना का अनुश्रवण कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक 15 दिवस पर तथा प्रमुख सचिव, समन्वय विभाग द्वारा प्रत्येक सप्ताह किया जायेगा।

10. योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में समय–सारणी : आई–स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना का कियान्वयन निम्नलिखित समय सारणी का अनुसरण करते हुये किया जायेगा :–

(i) शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अप्रैल, 2016 के अंत तक सम्भावित परियोजनाओं का आंकलन कर जिला स्तरीय समिति द्वारा ग्राम्य स्तरीय समिति के सहयोग से अनन्तिम कार्ययोजना एवं उसके क्रियान्वयन की रणनीति तैयार कर लिया जायेगा।

(ii) मई के प्रथम सप्ताह में कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा सुझाव एवं कार्ययोजना प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग कर सुझावों एवं कार्ययोजनाओं पर विचार विमर्श किया जायेगा।

(iii) इसके उपरान्त अगले एक सप्ताह में मण्डल स्तर पर कार्यशालायें आयोजित कर कार्ययोजना को स्थिर किया जायेगा। मण्डल स्तरीय की कार्यशालाओं की समय–सारिणी अलग से निर्गत की जायेगी। इस कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अपने जनपद की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा, जो अधिकतम् 10 मिनट की अवधि का होगा। यह प्रस्तुतीकरण अभिनव, स्थायी आय वृद्धि एवं सुनिश्चित विपणन लिंकेजेज से युक्त होगा। कार्यशाला में परियोजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण व्यवस्था का भी प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।

(iv) मई के अन्त तक समस्त कार्यशालायें पूर्ण कर ली जायेंगी तथा सम्बन्धित प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित कर दिया जायेगा।

(v) मण्डल स्तरीय कार्यशाला के एक सप्ताह के उपरान्त जिला स्तरीय समिति ग्राम्य स्तरीय समिति से प्रस्ताव प्राप्त कर उस पर विचार एवं परीक्षण करते हुए अपनी संस्तुति/संशोधन/परिवर्द्धन के साथ आई–स्पर्श मिशन निदेशक को उपलब्ध करायेंगे, जो उसे राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।

(vi) उपरोक्तानुसार कार्ययोजना की राज्य स्तरीय समिति से स्वीकृति के उपरान्त जनपदवार परियोजनाओं की धनराशि का आवंटन किया जायेगा।

उपरोक्त उल्लिखित समस्त कार्य समयबद्ध रूप से शीर्ष प्राथमिकता देते हुये इस भांति सम्पादित किये जायेंगे कि इन्हें दिनांक 07 जून, 2016 तक पूर्ण कर लिया जाय।

भवदीय,

(रिणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–473(1)/73–2016–/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. परियोजना समन्वयक, यू.पी.डॉस्प/मिशन डायरेक्टर, आई–स्पर्श स्मार्ट ग्राम मिशन, चतुर्थ तल, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
सयुक्त सचिव।